

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 18/2023

उनवानी :- कपूर व अन्य बनाम गोविन्द व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
20.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते विद्झो कर मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 18/2023 उनवानी कपूर व अन्य बनाम गोविन्द व अन्य दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(हेमसज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>